संख्या-10/2022/2039778/12-3099/51/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : :दिनांक 08 मार्च, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत संचालित 1789 क्लस्टर एवं 320 क्लस्टर में स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान अन्तर्गत संचालित जैविक खेती कार्यक्रम हेतु पुनर्वैधित अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपयुक्र्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/नमामि गंगे/325/2021-22, दिनांक 07 फरवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में रू.750.7228 लाख की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण एवं शर्तो/प्रतिबंधो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रु0 में)

अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2021-22 में एन0एम0एस0ए0 योजना का प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2021-22 में नमामि गंगे योजना हेतु कुल मात्राकृत धनराशि	स्वीकृति धनराशि (रा0 40 प्रतिशत)
अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2402-मृदा एंव जल संरक्षण 102-मृदा संरक्षण 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0102-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना (स्वच्छता एक्शन प्लान, नमामि गंगे क्लीन अभियान)	04-यात्रा व्यय	30.80	20.00	0
	08-कार्यालय व्यय	71.30	40.00	2.80
	11-लेखन सामग्री	76.26	40.00	2.86
	15-गाडी अनुरक्षण	81.51	15.00	0.0
	27- सब्सिडी	14972.63	4800.00	437.8388
	42- अन्य व्यय	6971.78	3000.00	237.424
	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य व्यय	2716.41	500.00	68.00
	46- कम्प्यूटर क्रय	32.43	3.0	0.0
	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण	35.96	5.0	1.20
	58- आउटसोर्सिंग सेवाएं हेतु	855.50	27.0	0.60
	योग	25844.58	8450.00	750.7228

(रु0 सात करोड़ पचास लाख बहत्तर हजार दो सौ अस्सी मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. वर्तमान में प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022, के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

2. भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 29.04.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा पुनर्वैध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित पुनर्वैध केन्द्रांश राज्य के समेकित निधि में जमा है।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव भारत सरकार के दिशा-निर्देशों /गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

7. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह आपका उत्तरदायित्व होगा।

8. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

9. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

10. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

11. केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की धनराशि के अन्तरण उपयोग व अनुश्रवण के सम्बन्ध में वित्त (आय-वययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 24 जून, 2021 एवं इस सम्बन्ध भारत सरकार से निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देशों के क्रम में कार्यवाही करना चाहेंगे।

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

भवदीय,

राजेन्द्र सिंह

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-2039778/12-3099/51/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, नई दिल्ली।

4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, नई दिल्ली।

5- अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, नई दिल्ली।

6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा0 मंत्रीगण, मा0 सांसद, मा0 विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

7- अपर कृषि निदेशक (भू0सं0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि संबंधित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन पत्र की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10- संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोन्मुखी योजना), कृषि विभाग, लखनऊ।

11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3

13- गार्ड फाइल।

भवदीय,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।